

नगर पालिका, जोबनेर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JOBNER/FIRENOC/2025-26/59154
जारी दिनांक: 03-FEB-2026 वैधता दिनांक: 02-FEB-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: ABHISHEK BHARDWAJ
आवेदक का पता: 1, SHAHEED BHAGAT SINGH GIRLS B.ED
COLLEGE, HINGONIA, JOBNER, JAIPUR, RAJASTHAN

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHAHEED BHAGAT SINGH SHODH AVAM VIKASSANSTHAN, 782/37, SHAHEED BHAGAT SINGH GIRLS COLLEGE ROAD, HINGONIA, , JAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. समय-समय पर अग्निशमन यंत्र का रखरखाव किया जाये तथा निचित समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
2. किसी भी प्रकार कि लुज विद्युत फिटिंग नही होनी चाहिए।
3. फायर वाहन आसानी से जा सके इसके लिये खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम एवं उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
5. यह प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का भू-उपयोग निर्धारण या स्वामित्व के लिये मान्य नही होगा।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
7. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अतिज्वलनीय पदार्थ नही रखा जावे।
8. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी से वैधता अवधि तक मान्य रहेगा वैधता अवधि समाप्त होने के पचात अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
9. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिानिर्देशों का पालन करना होगा। पालिका द्वारा इस संबंध में कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
10. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यालय स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
11. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नही होगा। इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. यह प्रमाण पत्र अग्निसुरक्षा के लिये मान्य होगा।
13. किसी भी समय नगरीय निकाय में आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, भापथ पत्र में भिन्नता एवं किसी भी सक्षम दस्तावेजों की कमी संज्ञान में आती है तो उक्त एनओसी निरस्त की जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।



Signed by: Rakesh Kumar Sharma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: JOBNER, Rajasthan
Date: 03/02/2026 17:07:04

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, जोबनेर